दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों का निर्माण

1690. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :**

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993–94 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कुल कितने मकानों का निर्माण किया गया;

(ख) दिल्ली की बढ़ती हुई जन-संख्या के लिये प्रतिवर्ष कितने मकानों की आवश्यकता है;

(ग) दिल्ली में मकानों की कमी को दूर करने के लिये प्रतिवर्ष कितने मकानों की आवश्यकता है ; और

(घ) मकानों की कमी को दूर करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण की क्या योजना है ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1993–94 के दौरान 8661 मकान बनाये हैं ।

(ख) और (ग) दिल्ली संदर्भ मास्टर प्लान–2001 के अनुसार 1991–96 के दौरान दिल्ली में 87,000 मकान औसत वार्षिक दर पर कुल 4.34 लाख नये मकानों की आवश्यकता है । इस आकलन में निम्नलिखित कारणों से मकानों की कमी बताई गई है:–

(i) बेघरता तथा आश्रय विहीनता ;

(ii) सघन आबाद मकानों में अनेक परिवारों का बसना ;

(iii) ऐसे जर्जर मकान जिनका शीघ्र पुनर्निर्माण आवश्यक है, आदि ।

(घ) दि०वि०प्रा० की विभिन्न स्कीमों में पंजीकृत शेष व्यक्तियों को भूमि, अवस्थापना तथा अन्य मूलभूत सुविधायें आदि उपलब्ध होने पर आठवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान मकान दे दिये जाने की आशा है । इसके अतिरिक्त, मकानों की कमी को दूर करने के लिये दि०वि०प्रा० सहकारी आवास समिति को भूमि भी आवंटित करता है और द्वारका तथा नरेला में समितियों के लिये 400 प्लाटों का प्रावधान है जिनमें 33,000 रिहायशी मकान बनेंगे । दिल्ली में मकानों की कमी को देखते हुये दि०वि०प्रा० समय-समय पर नई योजनायें शुरू करता है ।

Revision of cost of land by DDA

1691. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether a Bench of High Court of Delhi had referred a matter of revision of cost of land by DDA to the Chief Justice to constitute a large Bench as reported in Hindustan Times of 2nd October, 1993;

(b) whether that Bench also desired the larger bench to give ruling as to whether High Court of Delhi can interfere in the matter of pricing/costing of flats and land and illegal and arbitrary revision of cost of land by Lt. Governor, Delhi;

(c) if so, has the larger Bench since considered the matters and given any verdict therein; if so, the details thereof; if not, the steps taken to expedite the matter with the Bench;

(d) whether the Supreme Court had referred to the High Court of Delhi the special leave petition of DDA against the orders of the High Court of Delhi in the matter of reducing the cost of DDA flats to Rs. 1.89 lakhs in respect of MIG flats; and

(e) if so, whether the 'petition' has been considered by the Court by now and if so, the details of the outcome